



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022020-216277  
CG-DL-E-19022020-216277

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2020/माघ 30, 1941

No. 690]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2020/MAGHA 30, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020

का.आ. 758(अ).—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3 के खण्ड (8) तथा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा वधावन पत्तन को तत्काल प्रभाव से महापत्तन घोषित करती है और इसकी सीमाओं के भौगोलिक निर्देशांक निम्नानुसार होंगे:

बिंदु क (तट पर) -

तट के साथ उत्तर की ओर .....अक्षांश 19° 54' 26" उत्तर और देशांतर 72° 40' 34" पूर्व

बिंदु ख (तट पर) -

उच्चतम-जलस्तरांक तक तटों एवं किनारों तथा नौचालन योग्य रेखा के भीतर क्रीक्स सहित एवं समुद्र में पश्चिम की ओर.....अक्षांश 19° 57' 59" उत्तर और देशांतर 72° 42' 18" पूर्व

बिंदु ग (सीमांतर्गत जलक्षेत्र में) -

इसके पश्चात् दक्षिण की ओर ..... अक्षांश 20° 0' 0" उत्तर और देशांतर 72° 30' 0" पूर्व

बिंदु घ (सीमांतर्गत जलक्षेत्र में) -

अक्षांश 19° 54' 5" उत्तर और रेखांश 72° 30' 0" पूर्व और तट पर वापस निर्देशांक (क) तक।

[फा. सं. पीडी-12018/04/2014-पीडी-VI/V(Pt.)]

रबिन्द्र अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING****(Ports Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2020

**S.O. 758(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (8) of section 3 read with sub-section (2) of section 5 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and clause (q) of section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby declares that the Vadhavan Port shall be a major port with immediate effect and the geo-graphical co-ordinates of its limits shall be as follows:

- |   |  |
|---|--|
| <b>Point A</b> (on the Coast) -         | Latitude 19° 54' 26'' N and Longitude 72° 40' 34'' E along the coast northward to .....  |
| <b>Point B</b> (on the Coast) -         | Latitude 19° 57' 59'' N and Longitude 72° 42' 18'' E including banks and shores up to high-water marks and creeks within the line as far as navigable and into the sea westward to ..... |
| <b>Point C</b> (in territorial waters)- | Latitude 20° 0' 0'' N and Longitude 72° 30' 0'' E then Southward to .....  |
| <b>Point D</b> (in territorial waters)- | Latitude 19° 54' 5'' N and Longitude 72° 30' 0'' E and back to coordinate (A) on the Coast.  |

[F. No. PD-12018/04/2014-PD-VI/V(Pt.)]

RABINDRA AGARWAL, Jt. Secy.